


पत्रवली का हार्दिक धन्यवाद।
 जोरदार धन्यवाद।
 स्थिति है अनुचित है। प्रोबन् पीठसौन
 अतिरिक्त प्रस्ताव पर है/अवकाश पर है/अन्य
 कार्य में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
 अतः पत्रवली पूर्वानुसार दिनांक... 12-7-16
 को पेश हो।

(Signature)
 शीर्ष

12/7/16 पत्रवली राजा 9 लेख अदालत
 मजिस्ट्रेट (ज्याप अपके द्वारा) में केस
 लखनवा पेशद्वारा वकील बदपत
 वसिष्ठ लेने का तारखिलान पेश किया
 तारखिलान के अतिरिक्त किन्हीं कि पेशकरी
 के अन्वय राजपत्र, दस्तावेजों के
 प्राथमिक कृति हो गई है एक नया
 दावा पेश करने की अनुमति दी जावे।

पत्रवली का अनुरोध किन्हीं
 गण्य दावा वापिस लेने एक नया
 दावा पेश करने की अनुमति दी जावे
 ही अन्वय दस्तावेज वापिस दस्तावेज
 के लोचने लोचने पेश की जा रही है।
 पत्रवली फल सुभा देना
 नम्य है अपेक्षे. बाद तन्मही ल दापिस

शिवायल



दस्तावेजों *(Signature)*
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगापुर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी
 (सुनिदेव थादव)

तनकी
(Signature)
 2/7/16

नम्बर
अहक
हुक्म
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) फोलोअप कैम्प स्थान तलावडा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान
शुभ्या पुत्र स्व. श्री लहरया माली निवासी कडी झोपडी तह0 गंगापूर सिटी

i
--वादी

बनाम
लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापूर सिटी

--प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं - 55/20105

वादी की ओर से वादी फूल्या की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 12.7.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य राजीनामा के अनुसार वादी का दावा विद डा के आधार पर खारिज किया जाता है एवं नवीन दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

इह आज तारीख 12.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



(Signature)
मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रतीकों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	i

राज्य सचिव/अधिकारी एवं प्रदेन सहायक कलेक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोम्प कोर्ट)
 कोम्प कोर्ट का स्थान :- लला 937

प्रमाणित
 12/7/16

राजीनामा पत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय

दिनांक 12/7/16

लला 937
 फूलम
 138/2011

अन्तर्गत धारा

लला 937
 88, 188, 207 R.T. Act

प्रतिवादी/वादी श्री

फूलम पुत्र लहराम

कि उक्त राजीनामा का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
 गई है। हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।
 राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

कि लक्ष्मी के दाये में प्रकटित
 दाये के वामोप वामोप अथवा दाये-दायें नाम दायें पक्ष
 को धूर के साथ वामोप लेम-वामोप वामोप नाम
 धूर वामोप तथा दायें में प्रकटित दायें पक्ष
 को धूर के साथ वामोप अथवा दायें दायें वामोप
 को धूर के साथ वामोप अथवा दायें दायें वामोप

फूलम

- प्रतिवादी पक्ष 1.
 2.
 3.
 4.

12/7/16
 प्रधानाचार्य
 राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय
 गंगापुर सिटी सं. मा. पु.
 (गंगापुर सिटी)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
 (प्रतिवादी पक्ष) नाम

फूलम पुत्र लहराम

राजीनामा पत्र से राजीनामा पत्रा किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
 राजीनामा हस्तखाहिरा पक्षकार तन्दीक किया कर है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

लला 937

(सतीश कुमार शर्मा)
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगापुर सिटी

(मुनिदय भादव)
 अध्यक्ष
 लोक अदालत
 पीठा गंगापुर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी